

7.2.23 / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 7.2.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

7.2.23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्राधीगण के सम्मन के बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। अप्राधीगण को कितनी बार खक खक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

परीख
ने इस
मामिल
हुए

परीख अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)
संख्या- 196/22 प्राणपत्र

श्रीमती जड़ाई 10/0 सागी लाल जाट निवासी-बाब्याकी खेड़ी तहसील-माण्डल (करीम)
(खिलाफत प्रणयसलगत)

-प्रार्थी

बनाम

श्री रघुनाथ 3/0 डदयराग जाट निवासी-बाब्याकी खेड़ी तहसील-माण्डल
राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार सांगण्डल तहसील-माण्डल

--विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

की आर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 2189/1, 2190/1 कुल कित्ता 02 रकबा 0.6070 पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गद्दी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19-12-22 को पंजीकृत किया जाकर प्रकरण को किनारा से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी कराने का प्रारंभ है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते किनारे की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2189/1, 2190/1 कित्ता 02 रकबा 0.6070 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जानने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख शुल्क लेसवा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगद्दी की जायें। फसल खरबी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गद्दी की जाकर पालना सिमांत 07 दिनांक में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा